

(27)

## राजस्थान सरकार

### विधि (क) विभाग

#### अधिसूचना

जयपुर, 31 जुलाई, 1964

संख्या एफ. 3(1) एल./64.- राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम 6, सन् 1957) की धारा 8-क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा सदस्यों के सड़क परिवहन सेवा द्वारा निःशुल्क पारनयन का विनियमन करने हेतु, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

#### राजस्थान विधान सभा सदस्य (सड़क परिवहन सेवा द्वारा निःशुल्क पारनयन) नियम, 1964

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) ये नियम राजस्थान विधान सभा सदस्य (सड़क परिवहन सेवा द्वारा निःशुल्क पारनयन) नियम, 1964 कहलायेंगे।

(2) ये तुरन्त प्रभावशील होंगे।

2. परिभाषा:- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित नहीं हो;

(क) “पास” से तात्पर्य नियम 3 के अन्तर्गत जारी किये गये “पहचान एवं सड़क यात्रा पास” से है;

(ख) “सचिव” से तात्पर्य सचिव, राजस्थान विधान सभा से है और इसमें उक्त विधान सभा का कोई भी अधिकारी जिसे इन नियमों के अन्तर्गत सचिव के कर्तव्यों का पालन करने हेतु अध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से सशक्त किया गया हो, सम्मिलित है;

(ग) “सर्विस बस” में डीलक्स बस और वातानुकूलित बस सम्मिलित है, किन्तु संविदा के आधार पर चालित बस सम्मिलित नहीं है;

(28)

(घ) “स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन” से तात्पर्य रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन एक्ट, 1950 (सेन्ट्रल एक्ट 64, सन् 1950) की धारा 3 के अधीन स्थापित राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन से है।

3. सदस्यों का पास से यात्रा करने का हकदार होना.- इन नियमों के अधीन रहते हुए प्रत्येक सदस्य के लिए सचिव द्वारा एक पास परिशिष्ट ‘क’ में दिये हुए एफार्म में दिये जाने की व्यवस्था की जायेगी, जिससे वह और उसके साथ जाने वाला कोई अन्य व्यक्ति स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की सर्विस बसों के जरिये, किसी भी समय तथा किसी भी मार्ग पर, जिस पर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की बसें चलती हों, निःशुल्क यात्रा करने का हकदार होगा।

4. बस यात्रा प्रपत्रों की पुस्तकों का दिया जाना.- प्रत्येक सदस्य को सचिव द्वारा दो पुस्तकें दी जायेंगी जिनमें से प्रत्येक में 50, त्रिपति “सदस्य बस यात्रा फार्म” होंगे जिन पर क्रम संख्या अंकित होगी। फार्म परिशिष्ट ‘ख’ में दिये हुए एफार्म के अनुसार होंगे। जब तक एक पुस्तक समाप्त नहीं हो जाये, सदस्य दूसरी पुस्तक का प्रयोग नहीं करेंगे। पुस्तक के सभी फार्मों का उपयोग कर लिये जाने के पश्चात् सदस्य, पुस्तक को सचिव को लौटा देंगे और सचिव, निवेदन किये जाने पर उक्त सदस्य के नाम एक नई पुस्तक जारी करेंगे।

5. यात्रा की प्रक्रिया.- (1) यात्रा के प्रारम्भ में, सदस्य फार्म तथा उसकी पड़ताँ को भरेगा और बस के कण्डक्टर को फार्म दे देगा तत्पश्चात् कण्डक्टर यात्रा के लिये वसूली योग्य किराये की राशि सदस्य के पास रहने वाली पड़त में भरेगा। प्रत्येक पृथक् यात्रा के लिये पृथक् फार्म का प्रयोग किया जायेगा और बस बदलने की दशा में, भिन्न-भिन्न बसों से की जाने वाली प्रत्येक यात्रा के लिए पृथक् फार्म का प्रयोग किया जायेगा।

(2) सदस्य, जबकि कण्डक्टर या स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन का कोई अन्य अधिकारी, जो इस सम्बन्ध में यथोचित रूप से प्राधिकृत हो, मांगे तब अपना पास निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करेगा।

(29)

(3) सदस्य और उसके साथ जाने वाला कोई अन्य व्यक्ति जब कि सर्विस बसों में एक से अधिक दर्ज हों, किसी भी दर्ज में यात्रा कर सकेगा।

(4) सदस्य और उसके साथ जाने वाला कोई अन्य व्यक्ति, जो अपनी सीट आरक्षित कराने का इच्छुक हो, सीट आरक्षण हेतु शुल्क का भुगतान करने पर ऐसा कर सकेगा।

**6. अनुमति सामान.**- कोई सदस्य और उसके साथ जाने वाला कोई अन्य व्यक्ति अपने साथ उतना सामान निःशुल्क ले जा सकेगा जितना उस दर्जे के लिये जिसमें वह सदस्य और ऐसा व्यक्ति यात्रा करता है, किसी यात्रा को निःशुल्क ले जाने की अनुमति है तथा उस सदस्य और अन्य व्यक्ति को अपने-अपने अधिक सामान के लिये, यदि कोई हो, स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन द्वारा इस निमित्त नियत दरों के अनुसार भुगतान करना पड़ेगा।

**7. पास की मान्यता की अवधि.**- इन नियमों के अन्तर्गत जारी किया गया पास उस अवधि मात्र के दौरान मान्य रहेगा जिसमें उसका धारणकर्ता राजस्थान विधान सभा का सदस्य बना रहता है तथा धारणकर्ता पास को ज्यों ही विधान सभा से उसकी सदस्यता समाप्त हो, सचिव को लौटा देगा।

**8. पास आदि के खोने की रिपोर्ट.**- जब किसी सदस्य का पास/निःशुल्क यात्रा फार्म पुस्तक खो जाये तो वह इस तथ्य की रिपोर्ट तुरन्त सचिव एवं स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के जनरल मैनेजर को करेगा। उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर सचिव पास के लिये एक रूपये प्रति पास तथा निःशुल्क यात्रा फार्म पुस्तक के लिये दो रुपया प्रति पुस्तक सदस्य द्वारा, भुगतान किये जाने पर, उस सदस्य के नाम नया पास/नयी निःशुल्क यात्रा फार्म पुस्तक, जैसी भी स्थिति हो, जारी करेगा। यदि तदुपरान्त पास/निःशुल्क यात्रा फार्म मिल जाये तो वह सचिव को सौंप दिया जायेगा/दी जायेगी।

(30)

9. यात्रा के देय राशि के भुगतान के लिये प्रावधान.- सदस्य द्वारा की गई यात्रा के लिये देय राशि जिसका निर्धारण स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन द्वारा भुगतान हेतु भेजे गये सदस्य बस यात्रा फार्म (द्वितीय पड़ताँ) के आधार पर किया जायेगा, का भुगतान विधान सभा के बजट में से किये जाने की व्यवस्था सचिव द्वारा की जायेगी।

(2) परन्तु सदस्य द्वारा नगर परिवहन सेवा की, विधान सभा सदस्यों के उपयोग के लिये अभिनियोजित विनिर्दिष्ट बस से भिन्न बसों में की गई यात्रा के लिए देय राशि निगम द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रभारित नहीं की जायेगी अपितु निगम स्वयं ही उसे अधित्यक्त कर देगा।

[संख्या एफ.3(1) एल./64]

राज्यपाल की आज्ञा से,

लहरसिंह मेहता,

शासन सचिव।

(31)

क्रम संख्या.....

**परिशिष्ट 'क'**

(नियम ३ देखिये)

(पहचान एवं सङ्क यात्रा पास)

स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन

राजस्थान विधान सभा के सदस्य पहचान एवं सङ्क यात्रा पास

नाम..... अहस्तान्तरणीय

वि.स.स.

(डिवीजन संख्या.....)

फोटोग्राफ

पता..... सचिव  
..... राजस्थान विधान सभा

स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की सर्विस बसों में

निःशुल्क यात्रा के लिये है।

दिनांक..... सदस्य के हस्ताक्षर  
(डिवीजन संख्या.....)

- 
1. जिस सदस्य के नाम यह पास जारी किया गया है वह इसकी सुरक्षा के लिये उत्तरदायी है।
  2. यदि यह पास खो जाये तो उसकी रिपोर्ट तुरन्त सचिव, राजस्थान विधान सभा तथा जनरल मैनेजर, स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन को की जायेगी।
  3. राजस्थान विधान सभा की सदस्यता समाप्त हो जाने पर यह पास समर्पित (Surrender) कर दिया जायेगा।

(32)

4. एक यात्रा फार्म जिसमें यात्रा का विवरण हो जो कि इस पास के आधार पर की जाये, भरा जाकर बस कंडक्टर को यात्रा प्रारम्भ होने से पहले दे दिया जायेगा।
5. यह पास राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) अधिनियम, 1956 की धारा 8-क के प्रावधानों और उक्त अधिनियम की धारा 8-क के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए जारी किया जाता है तथा इसका प्रयोग उस बस में जिसमें कि यात्रा करने का विचार हो स्थान उपलब्ध होने की शर्त के अधीन किया जा सकता है।
6. यह पास टिकट पर लागू होने वाले नियमों और शर्तों जहां तक कि वे राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) अधिनियम, 1956 की धारा 8-क के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के असंगत न हो के अधीन रहते हुए यात्रा के सम्बन्ध में एक टिकट ही समझा जायेगा।

## परिशिष्ट 'ख'

(नियम 4 देखिये)

### (सदस्य बस यात्रा फार्म)

स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (सदस्य-बस-यात्रा-फार्म)	स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (सदस्य-बस-यात्रा-फार्म)
पुनर्तक सं..... क्रम सं..... (पर्ण)	पुनर्तक सं..... क्रम सं..... (दिवतीय पर्ण)
(सदस्य भरकर अपने पास रखेगा) यात्रा का समय और तरीख..... .....	(बस के कण्डकर को दी जावेगी) यात्रा का समय और तरीख..... .....
बस का नम्बर बस का प्रकार	बस का नम्बर बस का प्रकार
मैं..... से..... तक यात्रा कर रहा हूँ मेरे पास की संख्या.....	मैं..... से..... तक यात्रा कर रहा हूँ मेरे पास की संख्या.....
	है।
	है।
	है।
	है।

(33)

सदस्य	सदस्य	(34)
राजस्थान विधान सभा दिनांक.....डिवीजन संख्या..... (कण्डक्टर द्वारा पूर्ति की जायेगी) दिनांक .....	राजस्थान विधान सभा दिनांक.....डिवीजन संख्या..... (कण्डक्टर द्वारा पूर्ति की जायेगी) इस फार्म का यात्रा हेतु.....ने उपयोग किया।	राजस्थान विधान सभा दिनांक.....डिवीजन संख्या..... (कण्डक्टर द्वारा पूर्ति की जायेगी) इस फार्म का यात्रा हेतु.....ने उपयोग किया।
से.....तक स्टेज.....किराया..... बस नम्बर..... दिनांक..... कण्डक्टर के बैंज का नम्बर और	से.....तक स्टेज.....किराया..... बस नम्बर..... दिनांक..... कण्डक्टर के बैंज का नम्बर और	से.....तक स्टेज.....किराया..... बस नम्बर..... दिनांक..... हस्ताक्षर.....
हस्ताक्षर.....	हस्ताक्षर.....	हस्ताक्षर.....